

न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ... स्वाति, R.T.S.  
मिसल नं. ... 126/2023

सरकार बनाम बुद्धराम पुत्र बस्तीराम, जाति-जाट,  
निवासी- कुलोठ कलां।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक: 04.04.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बुद्धराम पुत्र बस्तीराम, जाति-जाट, निवासी- कुलोठ कलां द्वारा रोही मौजा कुलोठ कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 384 कुल रकबा 0.15 है 0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 50 वर्गमीटर भूमि पर दीवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ़

वि० नं० - 25-24 के श० नं०  
हो 4 के पटवारी 1. पटवारी  
05/11 मौजा कलां की गई।  
गाम